UPVR010104942022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), वाराणसी।

उपस्थितः अभय कृष्ण तिवारी, एच.जे.एस.

<u>दाण्डिक निगरानी संख्या-377/2022</u>

शीला पत्नी राजकुमार पुत्र स्व0 फुन्दुन निवासिनी ग्राम बेलवा थाना फूलपुर जिला वाराणसी हाल पता ग्राम दानियालपुर, थाना शिवपुर जिला वाराणसी।

----------निगरानीकर्ता

बनाम्....

1- राज्य

2- लहरू पुत्र स्व0 बोधई

3- इन्द्रजीत पुत्र स्व0 रामदुलार

निवासीगण ग्राम लखमीपुर थाना फूलपुर जिला वाराणसी हला पता ग्राम लाखी बहुआंव थाना फूलपुर जिला वाराणसी।

4- श्री मती हीरा देवी पत्नी स्व0 कैलाश निवासिनी बेलवा थाना फूलपुर जिला वाराणसी।

----------प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।

xxxxxxxxxxxxxxxxx

<u>निर्णय</u>

1- पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुयी।

2- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति बहस हेतु उपस्थित नहीं। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि आज के पूर्व विगत तीन तिथियों से प्रस्तुत निगरानी पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आया और आज की तिथि पर भी बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है।

3- प्रस्तुत निगरानी न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) एफ.टी.सी. द्वितीय/जे.एम. वाराणसी द्वारा प्रार्थनापत्र संख्या-1038/2022 शीला बनाम् लहरू व अन्य प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 में पारित आदेश दिनांकित 08.06.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है।

4- निगरानीकर्ता ने निगरानी में आधार लिया है कि अवर न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश सरसरी तौर पर एवं स्वेच्छाचारीता से पारित किया गया है जो निरस्त घोषित होने योग्य है। निगरानीकर्ती के पिता फुन्दन की मृत्यु दिनांक 10.11.2017 को हो गयी। उनके बड़े भाई कैलाश की मृत्यु दिनांक 25.11.2021 को हुई है। दोनो भाईयों फुन्दन व कैलाश पुत्रगण नरोत्तम ने बोचई पुत्र जग्गन निवासी ग्राम लखमीपुर, थाना फूलपुर वाराणसी से मौजा नागापुर, परगना कोलअसला, तहसील पिण्डरा, जिला

वाराणसी स्थित चक संख्या-220 आराजी नम्बर मि. 652 रकबा 1 डि0, आराजी नम्बर मि.653 रकबा 11 डि०, आराजी नम्बर 654 रकबा 14 डि0, आराजी नमबर 655 रकबा 19 डि०, आराजी नम्बर 655 रकबा 6 डि0 कुल 5 गाय कुल रकबा 51 डि० का बैनामा दिनांक 25.06.1976 को कराकर उस पर काबिज दखिल होकर कृषि कार्य निरन्तर करते रहे। जिस समय बोधई ने अपनी उपरोक्त 5 गाटा जमीन कैलाश व फुन्दन को बेचा था उस समय वह मौजा चकबन्दी प्रकिया के अंतर्गत थी। कैलाश घर के बड़े होने के कारण कुल समपत्ति की देखभाल प्रबन्धन स्वयं करते थे। निगरानीकर्ती के पिता फुन्दन को निगरानीकर्ती के अतिरिक्त दो लड़के नन्दलाल उम्र लगभग 55 वर्ष व रामगणेश उम्र लगभग 46 वर्ष है जो गुजरात में इस समय नौकरी करते है। इन दोनो भाईयों ने एवं माता किसनदेई पत्नी फुन्दन निगरानीकर्ती के हक में दिनांक 15.12.2021 को पिता की सम्पत्ति को देखभाल करने के लिये पावर आफ एटार्नी निष्पादित कर दिया है। जिसके द्वारा निगरानीकर्ती अपने पिता की सम्पत्ति और कृषि भूमि की देखरेख करती है क्योंकि निगरानीकर्ती की माता वृद्ध एवं कमजोर हो चुकी है। पांच जमीन जिसका बैनामा लिया गया है उसका चकबन्दी के बाद नया नम्बर आराजी नम्बर 853 रकवा 51 डि0 यानी 210 एयर हो गया है। निगरानीकर्ती पावर आफ एटार्नी होल्डर की हैसियत से जब अपने पिता की कृषि भूमि की कागजी स्थिति समझने के लिये पड़ताल करने लगी तो निगरानीकर्ती को संज्ञान में यह बात आयी कि निगरानीकर्ती के बड़े पिता कैलाश अपने जीवनकाल में ही बोधई के एक लड़के लहरू व दूसरे लड़के स्व० रामदुलार के पुत्र इन्द्रजीत मूल निवासीगण ग्राम लखमीपुर, थाना फूलपुर जिला वाराणसी वर्तमान निवासी मौजा लाखी बहुआंव थाना सिन्धोरा वाराणसी से कुषड़यंत्र व साठ गाठ करके निगरानीकर्ती के पिता फुन्दन एवं भाईयों रामगणेश व नन्दलाल व माता किशनदेई को फुन्दन के कृषि भूमि से बेदखल करने के उद्देश्य से उन लोगो से धोखाधड़ी किये है। जबकि विपक्षीगण संख्या 2 ता 4 को इस बात की जानकारी है कि उक्त जमीनको बोधई ने दिनांक 25.06.1976 को ही फुन्दन व कैलाश के पक्ष में बैनामा कर दिया है। कैलाश पुत्र नरोत्तम ने दिनांक 26.07.2017 को अपनी पत्नी हीरावती देवी के हक में पिण्डरा तहसील में बख्शीशनामा करा लिये ताकि निगरानीकर्ती की माता तथा निगरानीकर्ती के दोनों भाई अपनी जमीन से हाथ धो बैठे। बख्शीशनामा में यह गलत घोषणा की गयी है कि जमीन बख्शीशनामाकर्तागण लहरू व इन्द्रजीत की है। जमीन हड़पने के उद्देश्य से कैलाश, हीरावती देवी, लहरू व इन्द्रजीत ने उपरोक्त तरीके से जालसाजी किये है। विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 4 ने जालसाजी व धोखाधड़ी करके संज्ञेय अपराध कारित किये है जिनके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।माननीय अवर न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण को दीवानी प्रकृति का होना बताया है और आगे कहा है उसका उपचार सक्षम न्यायालय द्वारा प्राप्त हो सकता है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है सिविल प्रकृति के वाद में भी अपराधिक वाद संस्थित हो सकता है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थिति में

अवर न्यायालय की पत्रावली तलब कर उभय पक्ष का निवेदन सुनने के पश्चात अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 08.06.2022 निरस्त कर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराने हेतु आदेशित करने की कृपा करे।

5- पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6- प्रस्तुत निगरानी के परिशीलन से विदित है कि विपक्षीगण ने यह जानते हुए कि प्रश्नगत संपत्ति का बैनामा वर्ष 1976 में हो गया है। उसी जमीन को श्री कैलाश ने अपने पत्नी के पक्ष में बख्शीसनामा करा लिया और जालसाजी की है। यह तथ्य कि बख्शीसनामा या विक्रय के सम्बन्ध में उसको जानकारी थी या नहीं। अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण को दीवानी प्रकृति का होना बताया गया है। साथ ही निगरानी के परिशीलन से विदित है कि कैलाश की मृत्यु हो चुकी है। अतः इस सम्बन्ध में दिए गए विचारण न्यायालय का यह मत है कि उभयपक्ष के मध्य मूल विवाद दीवानी प्रकृति का है और उसका उपचार भी उसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्राप्त होगा। प्रार्थनापत्र अभिकथनों के आधार पर किसी संज्ञेय प्रकृति का कोई अपराध होना नहीं पाया है। यह न्यायालय भी विचारण न्यायालय के अभिमत से सहमत है। इसके प्रतिकूल तर्क प्रस्तुत करने के लिए कोई पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह निश्चित रूप से निष्कर्षित है कि प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तद्नुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7- निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी सं० 377/2022 खारिज की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि पुष्टि की जाती है। प्रस्तुत निगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 27-02-2024

(अभय कृष्ण तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०)
वाराणसी।

8- यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक- 27-02-2024

(अभय कृष्ण तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०)
वाराणसी।

स्टेनो- रोहित शुक्ल